राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seacco@gmail.com

विषय:– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 13/09/2021 को संपन्न 389वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एन.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 387वीं एवं 388वीं बैठक क्रमशः दिनांक 06/09/2021 एवं 07/09/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 387वीं एवं 388वीं बैठक क्रमशः दिनांक 06/09/2021 एवं 07/09/2021 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: **गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती विनिता राय), ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1775)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 66916/2021, दिनांक 26/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 652, 653 एवं 654, कुल क्षेत्रफल–0.482 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,925 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/09/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती विनिता राय), ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1776)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 66917/2021, दिनांक 26/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 741, 748, 751, 755, 756, 965, 957 एवं 958/1, कुल क्षेत्रफल–0.737 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–7,126 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती विनिता राय, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 741, 748, 751, 755, 756, 956, 957 एवं 958/1, कुल क्षेत्रफल–0.737 हेक्टेयर, क्षमता–7,126 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 04/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1368/ख.लि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
04/01/2017 से 31/03/2017	निरंक
2017–18	350
2018–19	789
2019–20	820
2020–21	2,032

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहभट्ठा का दिनांक 14/12/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो 5 वर्ष के लिए वैध थी।
3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1152/ख.लि./तीन–1/2015 बलौदाबाजार, दिनांक 14/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1368/खलि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 8.47 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल

खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1368/खलि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती विनिता राय के नाम पर है। लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/10/2016 से 13/10/2041 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 748, 751, 956, 957, 958/1 श्री मनोज राय, खसरा क्रमांक 755 सागर उद्योग लिमिटेड, खसरा क्रमांक 756 श्री गोपाल प्रसाद एवं खसरा क्रमांक 741 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./265 बिलासपुर, दिनांक 06/01/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोहभट्ठा 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–मोहभट्ठा 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.6 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,07,982 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 71,336 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 67,769 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,03,802 टन एवं रिकव्हरेबल 63,798 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,452 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं

ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,470
द्वितीय	7,470
तृतीय	7,470
चतुर्थ	7,470
पंचम	7,470
षष्टम	7,470

13. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,452 वर्गमीटर बताया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान में त्रुटिवश 1,452 वर्गमीटर के अनुसार गणना की गई है, जबकि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,529 वर्गमीटर है। उक्त हेतु रिजर्व की गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 705 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,529 वर्गमीटर है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। समिति का मत है कि उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजर्व्स की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक श्री मोहन लाल अग्रवाल (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 57905/2020) में

आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर, 2020 से 14 जनवरी, 2021 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1368/खलि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 8.47 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मोहभट्ठा) का रकबा 0.737 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मोहभट्ठा) को मिलाकर कुल रकबा 9.207 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the valid NOC of gram panchayat.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall ensure that minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

vii. Project proponent shall submit revised mining plan with revised reserve calculation taking correct area of 7.5 meter mine boundary.

viii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.

ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has be done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री शैलेष राय), ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1773)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 66946 / 2021, दिनांक 26 / 08 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 694 / 2, 696 एवं 743, कुल क्षेत्रफल–0.562 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/09/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स मंगलम एलॉय एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–जरवाय, तेंदुआ रोड, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1777)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 226437/2021, दिनांक 26/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–जरवाय, तेंदुआ रोड, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 299/1, 310/1, 310/6, 310/8, 310/7, 297, 300, 301, 302/2, 302/3, 302/4, 307/1, 307/2, 324, 309, 308 एवं 310/4, कुल क्षेत्रफल – 4.6792 हेक्टेयर में कोल गैसीफायर रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 3 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश पोरवाल, जनरल मैनेजर विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से स्ट्रक्चरल रि–रोल्ड प्रोडक्टस, आई–बिम, एच–बिम, एंगल्स, राउण्ड, चैनल आदि क्षमता 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 13/05/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 31/05/2029 तक है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–गुमा 1.25 कि.मी. एवं शहर रायपुर 4.5 कि.मी. स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन सरोना 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 3.5 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Rolling Mill Area	2,100	4.49
2.	Finished Good Area	1,800	3.85
3.	Raw Material Yard	1,950	4.16
4.	Parking Area	1,100	2.35
5.	Road Area	1,150	2.46
6.	Greenbelt Area	18,721	40.01
7.	Area for future expansion	19,971	42.68
	Total	**46,792**	**100**

4. **रॉ–मटेरियल –**

S.No	Input	Quantity (TPA)	Source	Transport
1.	Billets	59,900	Open Market	By Road
2.	Coal	5,950	Open Market	By Road
3.	Lime	42	Open Market	By Road

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Particular	Existing	After Expansion
1.	Unit	Reheating Rolling Mill (Coal Gasifier based)	Reheating Rolling Mill (Coal Gasifier based)
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA	Re-rolled products – 59,500 TPA
Note: Existing Coal Gasifier based reheating furnace rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day and some modification in motors and mill stands of rolling mill.			

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में स्ट्रक्चरल रि–रोल्ड प्रोडक्टस, आई–बिम, एच–बिम, एंगल्स, राउण्ड एवं चैनल आदि के उत्पादन हेतु 10 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु 19.8 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 24,000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 55 प्रतिशत एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन में अनुमानित कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 21,600 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न मिल स्केल को स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। यूज्ड आयल को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल से मिल स्केल – 400 टन प्रतिवर्ष एवं यूज्ड आयल – 180 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। यही व्यवस्थायें प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 12 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल 21 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एसबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 4 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की

स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 16,774 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 11 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा मे एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 6,900 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बैग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 6,210 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष संभावित होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 580 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर एवं एस.ओ.$_2$ की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि (2,700 घनमीटर) होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ (16,774 घनमीटर) का भू-गर्भ में रिचार्ज कराना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** — वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 1.381 हेक्टेयर (29.8 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,080 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1.872 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,595 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
300	1%	3.0	Following activities at Nearby 3 Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	3.39
			Potable Drinking Water Facility With 3 Years AMC	1.35
			Running Water Facility for Toilets	1.05
			Plantation with Fencing	0.75
			Total	**6.54**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य शासकीय शाला ग्राम—जरोदा, शासकीय शाला ग्राम—चटौद एवं शासकीय शाला ग्राम—अडसेना में किया जाएगा।

13. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:—

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

15. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(i)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary

including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

16. समिति का सर्वसम्मति से यह मत है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 2,700 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने परिसर में कुल 16,774 घनमीटर वर्षाजल का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर एवं एस.ओ.$_2$ की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(i)(a) के प्रावधान के तहत्, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स मंगलम एलॉय एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–जरवाय, सेंदुआ रोड, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 299/1, 310/1, 310/6, 310/8, 310/7, 297, 300, 301, 302/2, 302/3, 302/4, 307/1, 307/2, 324, 309, 308 एवं 310/4, कुल क्षेत्रफल – 4.6792 हेक्टेयर में कोल गैसीफायर रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स प्रेशियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड (प्रो.– श्री विमल सुनिया, बड़े बचेली टिन माईन), ग्राम–बड़े बचेली, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1772)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/66923/2021, दिनांक 28/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित टिन (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बड़े बचेली, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 979, 980/1, 980/2, 980/3, 981, 982, 983 एवं 984, कुल क्षेत्रफल–5.314 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1.5 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विमल लुनिया, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नही की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 372/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा दिनांक 29/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (कि.ग्रा.)
2007–08	131.4
2008–09	22.9
2009–10	516.8
2010–11	105.8
2011–12	163.3
2012–13	166.3
2013–14	15.4
2014–15	15
2015–16	119
2016–17	31.1
2017–18	74
2018–19	निरंक
2019–20	
2020–21	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अक्टूबर 2014 से दिनांक 31/03/2018 तक बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन कर पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

3. **नगर पालिका परिषद् का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद् बड़े बचेली का दिनांक 13/12/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. **उत्खनन योजना –** मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दंतेवा/टिन/खयो–1071–2017 दिनांक 20/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 371/खनिज/ख.प./2021–22

दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 373/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज सी.एम.डी.सी. को 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/09/2003 से 29/03/2023 तक की अवधि हेतु वैध है। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज डीड दिनांक 23/09/2053 तक विस्तारित है, जिसकी प्रति फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। सी.एम.डी.सी. द्वारा वर्किंग परमिशन (5.314 हेक्टेयर में से 4.914 हेक्टेयर हेतु) के लिए प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड को लीज का हस्तांतरण दिनांक 13/12/2004 को किया जाना बताया गया है। वर्किंग परमिशन के ट्रांसफर की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **भू–स्वामित्व** – भू–संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बचेली 2.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–बचेली 2.8 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बचेली 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 401 टन एवं माईनेबल रिजर्व लगभग 266.16 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,472 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 178 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2018–19	1.5
2019–20	1.5
2020–21	1.5
2021–22	1.5
2022–23	1.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 154 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 31/12/2021 के मध्य किया जाएगा।

17. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अंकन समिति के 25वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–1 सेक्टर) दिनांक 25 से 27 नवम्बर, 2020 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके प्रकरण क्रमांक 26.2 में मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, कलिंगानगर इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, दुबुरी, जिला–जाजपुर (ओडिशा) के ऑनलाईन आवेदन क्रमांक आईए/ओआर/आईएनडी/128148/2016 दिनांक 21/09/2016 पर विशेषज्ञ अंकन समिति द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया:–

"25.2.4 Based on the EAC recommendations, the file was processed wherein the Competent Authority of MoEF&CC observed that the instant case is beyond the applicability of S.O. 804 (e) dated 14/03/2017 and directed to adopt the following principle in all cases where violation is suspected or alleged.

i. Send the matter to the Sector EAC for consideration of the case on merit.
ii. Take action against the alleged violation as per law.
iii. Do not wait for either the evidence of action having been started or violation proceedings to finish before taking up the case on merit.
iv. The EC if given after consideration on merit would be valid from the date it is given and not with retrospective effect. For the period before it, if violation is established by the court or the competent authority, the punishment/penalty as per law would be imposed."

साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अंकन समिति के 10वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–3) दिनांक 18 से 19 मई, 2021 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके एजेण्डा क्रमांक 10.1 में मेसर्स संस्कार केमिकल्स एण्ड ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–अम्मूर, ग्राम–चेट्टीथंगल, तहसील–वालाजाह, जिला–वेल्लोर (रानीपेट), तमिलनाडु पर विचार कर निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया:–

"The Member Secretary informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry, in a related case (of M/s Tata Steel Limited, Odisha, F. No. J-11011/7/2006-IA-II(I)), has observed and directed that the case is beyond the applicability of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and should be considered by EAC as normal project. He also informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry has also directed to

follow the procedure adopted in the case of M/s Electrosteel Ltd (F.No.L-11011/188/2017-IA.II(I)(Pt)) for consideration of such cases. It was also directed in the F. No. 2/8/2021-IA.III, to consider such cases of violation for grant of ToR/EC, if there is no specific stay by the Hon'ble Courts on consideration of such projects."

16. उपरोक्त उल्लघंन के प्रकरणों पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ आकंन समिति द्वारा विचार करते हुए निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य स्तर विशेषज्ञ आकंन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा इस प्रकरण पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 371/खनिज/खा.प./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बड़े बचेली) का रकबा 5.314 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित की जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है:–

   "The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."
4. विचाराधीन खदान उल्लंघन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वीयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वीयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने एवं प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit top soil and overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the land ownership details, lease extension copy and lease transfer copy.

iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

v. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

ix. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

x. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xi. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xiii. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xiv. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xv. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition

(Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स प्रेशियस मिनरल्स एण्डस्मेल्टिंग लिमिटेड (प्रो.– श्री विमल लुनिया, नेरली कैसेटराईट माईन), ग्राम–नेरली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1774)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /66924/2021, दिनांक 26/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित टिन (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नेरली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 179, 182 एवं 183, कुल क्षेत्रफल–4.97 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–0.95 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विमल लुनिया, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 377/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा दिनांक 29/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (कि.ग्रा.)
2010–11	12.6
2011–12	15.4
2012–13	17.4
2013–14	15.1
2014–15	14.3
2015–16	16
2016–17	29.9
2017–18	73.2
2018–19	निरंक
2019–20	
2020–21	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अक्टूबर 2014 से दिनांक 31/03/2018 तक बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन कार पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नेरली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बैठक दिनांक तथा सचिव का सील एवं हस्ताक्षर नहीं है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत नेरली का अनापत्ति प्रमाण पत्र (जिसमें सरपंच एवं सचिव के सील एवं हस्ताक्षर हो) कार्यवाही बैठक दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दंतेवा/टिन/खयो/1072/2017 दिनांक 17/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 375/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 376/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज सी.एम.डी.सी. को 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/07/2005 से 06/07/2025 तक की अवधि हेतु वैध है। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज डीड दिनांक 06/07/2055 तक विस्तारित है, जिसकी प्रति फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। सी.एम.डी.सी. द्वारा वर्किंग परमिशन प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड को दिनांक 15/06/2009 को ट्रांसफर की गई है। वर्किंग परमिशन के ट्रांसफर की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **भू–स्वामित्व** – भू–संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बचेली 3.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बचेली 3.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बचेली 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 38.322 टन एवं माईनेबल रिजर्व लगभग 22.328 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 520 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 23.5 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	0.016
द्वितीय वर्ष	0.95
तृतीय वर्ष	0.95
चतुर्थ वर्ष	0.95
पंचम वर्ष	0.95

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 173 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 31/12/2021 के मध्य किया जाएगा।

16. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ आकलन समिति की 25वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–1 सेक्टर) दिनांक 25 से 27 नवम्बर, 2020 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके प्रकरण क्रमांक 25.2 में मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, कलिंगानगर इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, दुबुरी, जिला–जाजपुर (ओडिशा) के ऑनलाईन आवेदन क्रमांक आईए/ओआर/आईएनडी/128148/2016 दिनांक 21/09/2016 पर विशेषज्ञ आकलन समिति द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया:–

"25.2.4 Based on the EAC recommendations, the file was processed wherein the Competent Authority of MoEF&CC observed that the instant case is beyond the applicability of S.O. 804 (e) dated 14/03/2017 and directed to adopt the following principle in all cases where violation is suspected or alleged.

i. Send the matter to the Sector EAC for consideration of the case on merit.
ii. Take action against the alleged violation as per law.
iii. Do not wait for either the evidence of action having been started or violation proceedings to finish before taking up the case on merit.
iv. The EC if given after consideration on merit would be valid from the date it is given and not with retrospective effect. For the period before it, if violation is established by the court or the competent authority, the punishment/penalty as per law would be imposed."

साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अंकन समिति की 10वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–3) दिनांक 18 से 19 मई, 2021 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके एजेण्डा क्रमांक 10.1 में मेसर्स संस्कार केमिकल्स एण्ड ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–अम्मूर, ग्राम–पेट्टीथंगल, तहसील–वालाजाह, जिला–वेल्लोर (रानीपेट), तमिलनाडु पर विचार कर निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया:–

"The Member Secretary informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry, in a related case (of M/s Tata Steel Limited, Odisha, F. No. J-11011/7/2006-IA-II(I)), has observed and directed that the case is beyond the applicability of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and should be considered by EAC as normal project. He also informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry has also directed to follow the procedure adopted in the case of M/s Electrosteel Ltd (F.No.L-11011/188/2017-IA.II(I)(Pt)) for consideration of such cases. It was also directed in the F. No. 2/8/2021-IA.III, to consider such cases of violation for grant of ToR/EC, if there is no specific stay by the Hon'ble Courts on consideration of such projects."

17. उपरोक्त उल्लघंन के प्रकरणों पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अंकन समिति द्वारा विचार करते हुए निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा इस प्रकरण पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 375/खनिज/ख.प./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–नेरली) का रकबा 4.97 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी2' श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है:–

"The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The

bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

4. विचाराधीन खदान उल्लंघन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—

i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit top soil and overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the land ownership details, lease extension copy and lease transfer copy.

iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

v. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

viii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

ix. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

x. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xi. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xiii. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xiv. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xv. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 535)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 18008/ 2016, दिनांक 28/01/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 226541/2021, दिनांक 26/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1/4 एवं सीएसआईडीसी भूमि, कुल क्षेत्रफल – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सीएसआईडीसी भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एम. एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम.) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2019 द्वारा उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1/4 एवं सीएसआईडीसी भूमि, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सीएसआईडीसी भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी. एम.) क्षमता–1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर कुमार दास, जनरल मैनेजर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष" **के स्थान पर** "री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष (1,35,000 टन प्रतिवर्ष थ्रू हॉट चार्ज एवं 15,000 टन प्रतिवर्ष थ्रू कोल गैसीफायर री–हीटिंग फर्नेस)" किये जाने के लिये संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

2. **जारी पर्यावरणीय स्वीकृति –**

   - पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 896, दिनांक 22/01/2018 द्वारा री–रोलिंग मिल (री–हीटिंग फर्नेस आधारित) क्षमता 60,000 टन प्रतिवर्ष से 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2019 द्वारा उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1/4 एवं सीएसआईडीसी भूमि, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सीएसआईडीसी भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम.) क्षमता–1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर, रायपुर से री–रोलिंग मिल क्षमता–1,50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 22/02/2020 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 28/02/2023 तक वैध है।
   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर, रायपुर से स्टील इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम.) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (12 टन गुणा 4 नग) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 17/07/2020 को जारी की गई है।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ शहर रायपुर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सोंजनल नाला 0.73 कि.मी. एवं खारून नदी 6.5 कि.मी. की दूरी पर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित

क्रिटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 1.82 हेक्टेयर है, जिसमें से शेड, सड़क एवं बिल्डिंग का क्षेत्रफल 1.06 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 0.16 हेक्टेयर, तथा हरित पट्टिका हेतु क्षेत्रफल – 0.6 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) है। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। उक्त में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत् कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् स्थापित इकाई की विनियोग रुपये 12.12 करोड़ है एवं वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत् परियोजना का विनियोग रुपए 13.62 करोड़ होगा।

7. **रॉ–मटेरियल** –

- **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत्–**

Raw Material	Quantity	Sources	Mode of Transport
For Induction Furnace – 1,63,044 TPA			
Sponge Iron	1,62,638 TPA	Local Market	By Road
CI / Pig Iron Heavy Scrap	25,680 TPA	Local Market	By Road
Ferro Alloys & Aluminium	1,712 TPA	Local Market	By Road
Ramming Mass and Refractory lining	256 TPA	Local Market	By Road
For Rolling Mill – 1,60,000 TPA			
Hot Metal	Nil (through internal transfer)		

- **वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत्–**

Raw Material	Quantity (TPA)	Sources	Mode of Transport
For Induction Furnace – 1,63,044 TPA			
Sponge Iron	1,62,638	Local Market	By Road
CI / Pig Iron Heavy Scrap	25,680	Local Market	By Road
Ferro Alloys & Aluminium	1,712	Local Market	By Road
Ramming Mass and Refractory lining	256	Local Market	By Road
For Rolling Mill – 1,60,000 TPA			
Coal	1,500		
Lime	10		

8. **पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन संबंधी प्रस्ताव** –

As per EC Dated 06/06/2019	After Amendment
Induction Furnace (Billets/Ingots Production) - 1,63,044 TPA	Induction Furnace (Billets/Ingots Production) - 1,63,044 TPA

Rerolled Product (Hot charge) - 1,50,000 TPA	Rerolled Product (Hot charge) - 1,35,000 TPA Rerolled Product (Reheating Furnace) - 15,000 TPA
Coal gasifier- None	Coal gasifier- 10 TPH
Coal Requirement – none	Coal Requirement – 5 TPA

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –**

- वर्तमान में रोलिंग मिल के री–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 2 नग वेट स्क्रबर एवं 45 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। दिनांक 06/06/2019 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 45 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाएगा, जिससे पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम रखा जाना था। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत् प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 45 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाएगा, जिससे पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम रखा जाएगा। री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाएगा, जिससे पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम रखा जाएगा। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में कोल गैसीफायर हेतु 5 टन प्रतिवर्ष कोयले का उपयोग किया जाएगा।

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

- **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत्** इण्डक्शन फर्नेस से डिफेक्टीव बिलेट/रनर राईजरस – 8,153 टन प्रतिवर्ष, स्लेग – 16,270 टन प्रतिवर्ष, रिफेक्ट्री वेस्ट – 128 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोलिंग मिल से मिल स्केल – 3,750 टन प्रतिवर्ष, मिस–रोल/ एण्ड कटिंग – 3,750 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। डिफेक्टीव बिलेट/रनर राईजरस को पुनः स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में उपयोग किया जाएगा। स्लेग को मेटल रिकव्हरी युनिट्स को उपलब्ध कराया जाएगा। रिफेक्ट्री वेस्ट को अधिकृत रिसायक्लर/ईंट निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। मिल स्केल को फेरो एलॉयज प्लांट एवं पैलीटाईजेशन प्लांट को विक्रय किया जाएगा। मिस रोल/ एण्ड कटिंग को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में उपयोग किया जाएगा। रोलिंग मिल हॉट चार्जिंग पद्धति से संचालित होने पर ऐश जनित नही होगा।

- **वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन आवेदन के तहत्** इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 16,270 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से मिल स्केल – 3,750 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग – 3,750 टन प्रतिवर्ष, लाईम स्लज – 67 टन प्रतिवर्ष, यूज्ड ऑयल 2 कि.ली. प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में उपयोग किया

जाएगा। लाईम स्लज को सीमेंट उद्योग को विक्रय किया जाएगा। यूज्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर्स इकाईयों को विक्रय किया जाएगा।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 15,768 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 नग रिचार्ज पिट (लम्बाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर एवं गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** –

- **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत्** री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल को बंद कर प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस एवं हॉट चार्जिंग विधि से रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने के लिए बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 10,872 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। साथ ही कुल 32,061 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन नहीं है।

- वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन आवेदन के तहत् री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस से रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने के लिए बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 10,074 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। साथ ही कुल 23,837 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 80 प्रतिशत एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 2,400 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वायु परिवेशीय गुणवत्ता मॉडलिंग प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार परिवेशीय वायु में एस.ओ.$_2$ की मात्रा में 0.016 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

- उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि एवं (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में कमी होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 0.6 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,478 नग पौधे रोपित किया गया है। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत् 0.73 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 342 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन आवेदन के तहत् विद्युत आपूर्ति की मात्रा एवं जल उपयोग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगी।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में दिनांक 22/01/2018 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व टी.ओ.आर. जारी किया गया था, जिसके अनुसार ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार कर लोक सुनवाई भी कराई गई थी।

16. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/08/2019 द्वारा ईंधन (कोयला आधारित से गैसीफायर से गैस / फर्नेस ऑयल) की बचत होने से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप इनका सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होने तथा आधुनिकीकरण कार्यकलापों हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना के आधार पर "बी1" श्रेणी का मानते हुये ई.आई.ए. एवं लोक सुनवाई से छुट देते हुये एम.एस. बिलेट (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम.) क्षमता–1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रु हॉट चार्ज) क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। उनके द्वारा दिनांक 06/08/2019 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया जाना बताया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रदूषण भार हेतु प्रस्तुत गणना के आधार पर सल्फर डाई–ऑक्साईड के उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिसकी मात्रा नगण्य है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रदूषकों की मात्रा में कमी हो रही है। उक्त के आधार पर उनके द्वारा ई.आई.ए. एवं लोक सुनवाई से छुट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

18. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में किसी भी प्रकार की कार्यवाही यथा सी.ई.आर., रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण आदि नहीं की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यों को पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यों को पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (कोनकोना ऑर्डिनरी स्टोन टेम्परेरी परमिट क्वॉरी (06)), ग्राम–कोनकोना, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1778)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 226610/2021, दिनांक 27/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोनकोना, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 9/1, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,70,005 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रवीण सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोनकोना का दिनांक 08/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – टी.पी. क्वारी प्लान, इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2573/खलि–5/उ.यो.अ./2020 कोरबा, दिनांक 30/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4246/खलि–1/न.क्र.06/2020 कोरबा, दिनांक 26/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4245/खलि–1/न.क्र. 06/2020 कोरबा, दिनांक 26/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। तान नदी 110 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2164/खलि–1/उ.अनुज्ञापत्र/न.क्र.06/2020 कोरबा, दिनांक 28/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक तक.अधि./2020/4810 कटघोरा, दिनांक 16/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 0.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोनकोना 2.35 कि.मी., स्कूल ग्राम–कोनकोना 2.7 कि.मी. एवं अस्पताल कटघोरा 14 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.51 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.85 कि.मी. दूर है। तान नदी 0.11 कि.मी. एवं तालाब 0.63 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,05,000 टन, माईनेबल रिजर्व 2,01,325 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,97,299 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,865 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,783.75 घनमीटर है। इस मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,351.25 घनमीटर है। जिसे आवश्यकतानुसार रैम्प, हॉल रोड तथा पहुंच मार्ग के रख–रखाव में उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,70,006
द्वितीय	27,293

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.85 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 573 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
36.5	2%	0.73	Following activities at Government Primary School, **Village – Ghogharapara**	
			Rain Water Harvesting System	0.38
			Potable Drinking Water Facility with 5 years AMC	0.20
			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.05
			Total	**0.78**

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4246/खलि–1/न.क्र.06/2020 कोरबा, दिनांक 26/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कोनकोना) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कोनकोना) को मिलाकर कुल रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (कोनकोना ऑर्डिनरी स्टोन टेम्परी परमिट क्वॉरी (06)) की

ग्राम–कोनकोना, तहसील–पोंडी उपरोड़ा, जिला–कोरबा के खसरा क्रमांक 9/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता – 1,70,005 टन (2 वर्षों में कुल क्षमता 1,97,298 टन) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स कुम्हारी अर्थ वर्क्स क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो. – श्री नरेन्द्र कुमार पितवानी), ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 835)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34754/ 2019, दिनांक 17/04/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34754/ 2019, दिनांक 26/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270/1, 1270/3, 1271, 1272, 1278/2, 1279, 1280 एवं 1281, कुल क्षेत्रफल–4.625 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,992.73 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 37,99,321 नग) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/11/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 26/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र कुमार पितवानी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **नगर पालिका परिषद् का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद् कुम्हारी का दिनांक 21/12/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 361/खनि लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 24/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2332/खनि.लि.02/खनिज/2020 दुर्ग, दिनांक 22/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.445 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 74/खनि लिपि.2/2018 दुर्ग, दिनांक 09/04/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 191/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2018 दुर्ग, दिनांक 28/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के अपील क्रमांक एफ–42/2019/12 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 15/07/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "**विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी श्री नरेन्द्र प्रीतवानी, पिता स्व. श्री चन्द्र प्रीतवानी निवासी– लाखेनगर, ईदगाह भाठा, रायपुर द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन दिनांक 13/06/2019 को मान्य करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015" यथासंशोधित के नियम 42(5) के प्रावधानांतर्गत गुण दोष के आधार पर नियमानुसार विचार कर प्रकरण का निराकरण किया जाए**" होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1268, 1270/1, 1279, 1280 आवेदक, खसरा क्रमांक 1265, 1266, 1267, 1270/3, 1271, 1281 आवेदक एवं श्री अशोक कुमार प्रीतवानी, खसरा क्रमांक 1272, 1278/2 आवेदक एवं श्री अशोक कुमार प्रीतवानी एवं सन्स, खसरा क्रमांक 1264 श्री अशोक कुमार प्रीतवानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2019/1261 दुर्ग, दिनांक 12/04/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 30 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुम्हारी 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुम्हारी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–कुम्हारी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.28 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.8 कि.मी. दूर है। खारून नदी 0.13 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 92,500 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 77,463 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 69,717 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,080 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.3 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	3,992	37,99,321
द्वितीय	3,992	37,99,321
तृतीय	3,992	37,99,321
चतुर्थ	3,992	37,99,321
पंचम	3,992	37,99,321

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित ईंट उत्पादन (नग)
षष्टम	3,992	37,99,321
सप्तम	3,992	37,99,321
अष्टम	3,992	37,99,321
नवम	3,992	37,99,321
दशम	3,992	37,99,321

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.67 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि किल्न चिमनी में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर की व्यवस्था की जाएगी।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 21.09 से 42.54 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 40.09 से 65.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.11 से 15.34 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 10.42 से 16.34 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 42.4 डीबीए से 66.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.5 डीबीए से 54.4 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 85 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 30/07/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – नगर पालिका परिषद् के सांस्कृतिक भवन ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/08/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी।

ii. लोक सुनवाई की सूचना आस–पास के लोगों को नहीं दी गई। प्रस्तावित ईंट भट्ठा खेत के बगल में रहेगी, जिससे खेत को नुकसान पहुंचेगी। विगत 25 वर्षों से वृक्षारोपण नहीं किया गया है। जमीन के आस–पास गड्ढे हो चुके है। नदी से मिट्टी निकाली जाती है।

iii. खदान की आयु समाप्ति के उपरांत खदान का क्या उपयोग किया जाएगा।

[illegible]

iv. स्थानीय लोगों को क्या व्यवस्था दी जाएगी। वृक्षारोपण किन–किन स्थानों पर कितनी मात्रा में किया जाएगा।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. पहुंच मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा। दिन में दो बार पानी का छिड़काव किया जाएगा। चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है तथा इसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर लगाया जायेगा। कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राशि 12,00,000/– रुपये खर्च किये जायेंगे, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा।

ii. लोक सुनवाई की जानकारी एक माह पूर्व हिन्दी तथा अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित की गई थी। साथ ही कार्यपालिका सारांश की कॉपी ग्राम पंचायत में रखवाई गई थी तथा मुनादी करवाई गई थी। यह नई खदान है, मिट्टी का उत्खनन स्वयं के लीज सीमा के भीतर मैन्युअल विधि से की जाएगी। खदान के चारों ओर 1 मीटर की चौड़ाई में वृक्षारोपण किया जाएगा।

iii. खदान की अवधि समाप्ति उपरांत खदान में वृक्षारोपण एवं नर्सरी के रूप में किया जाएगा।

iv. स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। खदान के चारों ओर 1 मीटर की चौड़ाई में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 5 खदानें आती है। शेष खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 6.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 9,60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (6.5 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (13,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 41,44,710/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 15,15,000/– प्रतिवर्ष तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 14,50,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,26,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (6.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 4,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. नदी के तरफ 1,20,150 वर्गमीटर क्षेत्र में (13,350 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 6,67,500/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 66,750/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VI. अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु अनुमानित राशि 3,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

VII. कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 1,98,05,710/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 65,98,210/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव के सड़क मार्ग में वृक्षारोपण, नदी के तरफ वृक्षारोपण, अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 33,67,750/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव के सड़क मार्ग में वृक्षारोपण, नदी के तरफ वृक्षारोपण, अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष में राशि 32,36,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 14,86,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

IX. कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक एवं मेसर्स शिवा इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री उमेश सचदेव) की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 3.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 4,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. 3.5 कि.मी. तक पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (3,500 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 21,60,920/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 8,14,500/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा।

इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 56,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (3.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. नदी के तरफ 26,474 वर्गमीटर क्षेत्र में (2,941 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,47,050/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 14,705/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VI. अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

VII. कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 1,08,89,920/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 32,33,970/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), नदी के तरफ वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में राशि 17,65,205/– प्रतिवर्ष व्यय तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्षों में राशि 17,50,500/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 7,36,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

IX. कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
221	2%	4.42	Following activities at 2 Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	2.60
			Potable Drinking water Facility with 3 year AMC	1.05
			Running water facility for Toilets	0.50
			Plantation with fencing	0.80
			Total	**4.95**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल ग्राम–कुम्हारी एवं (2) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–कुम्हारी में किया जाएगा।

23. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2332/खनि. लि.02/खनिज/2020 दुर्ग, दिनांक 22/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.445 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कुम्हारी) का रकबा 4.625 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कुम्हारी) को मिलाकर कुल रकबा 9.07 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कुम्हारी अर्थ क्ले क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री नरेन्द्र कुमार प्रितवानी) की ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270/1, 1270/3, 1271, 1272, 1278/2, 1279, 1280 एवं 1281 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–4.626 हेक्टेयर, क्षमता – 3,992 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 37,99,321 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स शिवा इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री उमेश सचदेव), ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1420)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57529/ 2020, दिनांक 16/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57529/ 2020, दिनांक 28/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1011/1, 1011/2, 1013, 1015, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/4, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020/1, 1020/2, 1023/1, 1023/2, 1025, 1028, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1091/19, 1091/20 एवं 1091/26, कुल क्षेत्रफल–8.776 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 6,300 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 53,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 28/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र कुमार सचदेव, पार्टनर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **नगर पालिका परिषद् का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद् कुम्हारी का दिनांक 01/02/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4133/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(1) नवा रायपुर, दिनांक 09/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 912/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 13/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 9.07 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 06/11/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2795/खनिज/ उ.प./2020 दुर्ग, दिनांक 22/09/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि पार्टनर श्री महेन्द्र कुमार सचदेव, मेसर्स शिया इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/3669 दुर्ग, दिनांक 10/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 20 कि.मी. तथा नंदनवन जू से 1.6 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुम्हारी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुम्हारी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–कुम्हारी 2 कि.मी. की दूरी

पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। खारून नदी 0.28 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,75,520 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 1,58,886 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,072 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	5,300	53,00,000
द्वितीय	5,300	53,00,000
तृतीय	5,300	53,00,000
चतुर्थ	5,300	53,00,000
पंचम	5,300	53,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित ईंट उत्पादन (नग)
षष्टम	5,300	53,00,000
सप्तम	5,300	53,00,000
अष्टम	5,300	53,00,000
नवम	5,300	53,00,000
दशम	5,300	53,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि फिक्स चिमनी में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर की व्यवस्था की जाएगी।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 21.09 से 42.54 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 40.09 से 65.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.11 से 15.34 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 10.42 से 16.34 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 42.4 डीबीए से 66.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.5 डीबीए से 54.4 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 106 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 31/07/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – नगर पालिका परिषद् के सांस्कृतिक भवन ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. लोक सुनवाई कराई जा रही है। ग्राम–कटारी के लोगों को लोक सुनवाई में बुलाया जाना था।

ii. बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए टैंक का निर्माण किया जाकर आस–पास के गांव में वृक्षारोपण कार्य किया जाए। रोजगार देने के लिए गांव के लोगों को स्किल डेव्हलपमेंट किया जाए।

iii. खदान प्रारंभ होने उपरांत कितने नग वृक्ष लगाये जायेंगे तथा कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

iv. लीज क्षेत्र के समीप रहवासी क्षेत्र है। नियमों को अनदेखा कर लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन किया जा रहा है। साथ ही इनके द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निरंतर सामना करना पड़ रहा है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. लोक सुनवाई की जानकारी एक माह पूर्व हिन्दी तथा अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित की गई थी।

ii. बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए 2 नग टंकिया बनाई जाएगी, जिसे ऑफिस बिल्डिंग के छत से जोड़ा जाएगा तथा ईट निर्माण हेतु इस पानी का उपयोग किया जाएगा। स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाकर स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी।

iii. खदान में 690 नग वृक्षारोपण किया जाएगा तथा पहुंच मार्ग में 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही 85 लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

iv. यह एक नवीन खदान है। खदान में उत्खनन कार्य लीज सीमा के भीतर मैन्युअल विधि से किया जाएगा। चिमनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर लगाया जायेगा। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य किया जाएगा, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा। साथ ही साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाएगा।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 5 खदानें आती है। शेष खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 6.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गो हेतु अनुमानित राशि 9,60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (6.5 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (13,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 41,44,710/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 15,15,000/– प्रतिवर्ष तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 14,50,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,26,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (6.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 4,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. नदी के तरफ 1,20,150 वर्गमीटर क्षेत्र में (13,350 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 6,67,500/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। द्वितीय एवं

तृतीय वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 66,750/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VI. अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु अनुमानित राशि 3,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

VII. कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 1,98,05,710/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 65,98,210/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव के सड़क मार्ग में वृक्षारोपण, नदी के तरफ वृक्षारोपण, अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 33,07,750/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव के सड़क मार्ग में वृक्षारोपण, नदी के तरफ वृक्षारोपण, अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष में राशि 32,36,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 14,96,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

IX. कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक एवं मेसर्स कुम्हारी अर्थ वर्क्स क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो. – श्री नरेन्द्र कुमार प्रितयानी) की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 3.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 4,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. 3.5 कि.मी. तक पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (3,500 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 21,50,920/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 8,14,500/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 56,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (3.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. नदी के तरफ 26,474 वर्गमीटर क्षेत्र में (2,941 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,47,050/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 14,705/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VI. अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

VII. कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 1,08,89,920/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

- प्रथम वर्ष में राशि 32,33,970/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), नदी के तरफ वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यों (Other Miscellaneous) हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में राशि 17,65,205/– प्रतिवर्ष व्यय तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्षों में राशि 17,50,500/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 7,36,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

IX. कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
391	2%	7.82	Following activities at 3 Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	2.40
			Potable Drinking water Facility with 4 year AMC	1.05
			Running water facility for Toilets	0.70
			Plantation	3.75
			Total	**7.90**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–खपरी, (2) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–मजरपट्टा एवं (3) शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–कुम्हारी में किया जाएगा।

23. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 912/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 13/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 9.07 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कुम्हारी) का रकबा 8.776 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कुम्हारी) को मिलाकर कुल रकबा 17.846 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शिवा इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री उमेश सचदेव) की ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1011/1, 1011/2, 1013, 1015, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/4, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020/1, 1020/2, 1023/1, 1023/2, 1025, 1028, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1091/19, 1091/20 एवं 1091/26 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–6.776 हेक्टेयर, क्षमता – 5,300 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 53,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स सियादेही ब्रिक अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री रामचन्द चक्रधारी), ग्राम–सियादेही, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1537)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 194751/2021, दिनांक 24/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–सियादेही, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 06, कुल क्षेत्रफल – 2.44 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 890 घनमीटर (10,01,250 नग) प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामचन्द चक्रधारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सियादेही का दिनांक 18/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्वारोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 971/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2020–21 कांकेर, दिनांक 11/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 55/खनिज/2021 धमतरी, दिनांक 20/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 56/खनिज/2021 धमतरी, दिनांक 20/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1834/खनिज/उत्खनिपट्टा/2020 धमतरी, दिनांक 26/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री रामभिलन, श्री रामचन्द एवं श्री रमाकान्त के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी/4004 धमतरी, दिनांक 25/09/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सियादेही 1.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–सियादेही 1 कि.मी. एवं अस्पताल धमतरी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 48,800 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 42,300 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 40,185 घनमीटर प्रतिवर्ष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 890 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन की जाएगी। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.187 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा (किल्न) प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग की जाएगी। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 16 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	890
द्वितीय	890
तृतीय	890
चतुर्थ	890
पंचम	890

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
षष्टम	890
सप्तम	890
अष्टम	890
नवम	975
दशम	986

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30.3	2%	0.61	Following activities at Government Primary School School, **Village – Siyadehi**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation	0.15
			Total	**0.65**

16. समिति के संज्ञान में तथ्य आया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में दर्शित सैकेण्ड फाइव ईयर प्लान में 975 एवं 986 घनमीटर उत्खनन प्रस्तावित किया गया है, जबकि आवेदन में प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन 890 घनमीटर बताया गया है। इसी प्रकार ईंट उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश मिलाया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिससे ईंट उत्पादन हेतु कुल रॉ–मटेरियल 1,335 घनमीटर होता है। उक्त रॉ–मटेरियल से अधिकतम 7,00,000 नग ईंट का उत्पादन किया जा सकता है, जबकि आवेदन में प्रस्तावित ईंट उत्पादन 10,01,250 नग बताया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में त्रुटि है। अतः उपरोक्तानुसार संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में दिये विवरण अनुसार मिट्टी उत्खनन एवं ब्रिक्स निर्माण की विस्तृत गणना कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. ब्रिक्स निर्माण हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 74/खनिज/उत्ख.यो.अनु./मिट्टी/ 2021-22 कांकेर, दिनांक 25/06/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार 8,90,000 नग ब्रिक्स के निर्माण हेतु 890 घनमीटर मिट्टी एवं 890 घनमीटर फ्लाई ऐश की आवश्यकता होगी।
2. ब्रिक्स निर्माण हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. ब्रिक्स निर्माण हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. ब्रिक्स निर्माण हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार एक लाख ईंट निर्माण हेतु 16 टन कोयला की आवश्यकता होगी।
2. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का दिनांक 27/05/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 55/खनिज/2021 धमतरी, दिनांक 20/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सियादेही) का रकबा 2.44 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स सियादेही ब्रिक अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किलन प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री रामचन्द ब्रह्मचारी) की ग्राम–सियादेही, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी के खसरा क्रमांक 06 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल– 2.44 हेक्टेयर, क्षमता – 890 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 8,90,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स रूनियाडीह ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री रविशंकर जायसवाल), ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1402)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 174324/2020, दिनांक 22/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1273, कुल क्षेत्रफल – 0.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति (बैठक दिनांक सहित) प्रस्तुत की जाए।

2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रविशंकर जायसवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है, जबकि माईनिंग प्लान में ईंट उत्पादन अधिकतम क्षमता - 5,76,400 नग प्रतिवर्ष का भी प्रस्ताव है। अतः पर्यावरणीय स्वीकृति मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता 1,073.23 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता - 5,76,400 नग) प्रतिवर्ष हेतु जारी किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लनियाडीह का दिनांक 08/06/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** - क्वारी प्लान, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के पृ. क्रमांक/230-31/खनिज/खलि.2/2016 बैकुंठपुर, दिनांक 20/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से

200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, गुरुद्वारा, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री रविशंकर जायसवाल के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष की दिनांक 28/03/2006 से दिनांक 27/03/2016 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 28/03/2016 से 27/03/2036 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1258/2005 अंबिकापुर, दिनांक 19/04/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कनियाडीह 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–कनियाडीह 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–कनियाडीह 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 11,701 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 6,479 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,831 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 364.79 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। माईनिंग प्लान अनुसार वर्तमान में 5,698.68 वर्गमीटर क्षेत्र में लगभग 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। स्थापित लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा (किल्न) प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। माईनिंग प्लान में वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	631
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	561
द्वितीय	562
तृतीय	583
चतुर्थ	518
पंचम	618
षष्टम	619

सप्तम	619
अष्टम	619
नवम	620
दशम	526

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 180 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1273, क्षेत्रफल 0.87 हेक्टेयर, क्षमता–1,073.23 घनमीटर (5,47,581 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 19/12/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832ए/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (नग)	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
2017	50,000	100
2018	5,25,000	1,050
2019	2,70,000	540

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Govt Primary School, **Village-Runiyadih**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking	0.20

			Water Facility	
			Total	0.70

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. आवेदित उत्खनन क्षमता 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष है। जबकि माईनिंग प्लान में प्रथम वर्ष में उत्खनन 1,192 घनमीटर दर्शाया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2021 एवं 08/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/03/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 832ए/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही पूर्व में इस संबंध में जो आंकड़े जिस ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से प्रस्तुत किये गये थे, उसी ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से वर्तमान में परिवर्तित आंकड़े प्रस्तुत किये गये है। इस प्रकार एक ही ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से भिन्न–भिन्न उत्खनन आंकड़े प्रस्तुत किये गये है। उक्त विसंगतियों के संबंध में लेख करते हुए कलेक्टर को सूचित किया जाना आवश्यक है। साथ ही उपरोक्त के संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया जाना होगा।
3. माईनिंग प्लान में प्रथम वर्ष में उत्खनन 1,192 घनमीटर दर्शित होने, जबकि आवेदित उत्खनन क्षमता 1,073.23 घनमीटर प्रतिवर्ष होने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रथम वर्ष में उत्खनन उपरांत माईन वेस्ट को कम किये जाने पर उपलब्ध मिट्टी की मात्रा 1,073.23 घनमीटर है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि कलेक्टर, जिला–सूरजपुर को एक ही क्रमांक एवं दिनांक द्वारा जारी दो अलग–अलग पत्रों के संबंध में जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्ष में प्रेषित किये जाने हेतु लेख किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2021 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन दिनांक 26/08/2021 (प्राप्ति दिनांक 02/09/2021) द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1897/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 26/08/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (नग)	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
2017	50,000	100
2018	5,25,000	1,050
2019	2,70,000	540

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 632/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-रूनियाडीह) का रकबा 0.87 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मैसर्स रूनियाडीह ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.- श्री रविशंकर जायसवाल) की ग्राम-रूनियाडीह, तहसील व जिला-सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1273 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल- 0.87 हेक्टेयर, क्षमता - 1,073 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 5,76,400 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-08** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 600 नग पौधे लगाये जायेंगे।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स श्री बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज (पार्टनर– श्री राणा अरूण कुमार सिंह), ग्राम–खैरवारी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1718)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 218941/2021, दिनांक 29/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खैरवारी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 391, 392 एवं 393(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.786 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–38,132 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निकुंज पटेल, पार्टनर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उनके द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि तकनीकी समस्या होने एवं वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/09/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स पाईकभाठा क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ज्ञानचंद गोलछा), ग्राम–पाईकभाठा, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1752)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 221813/2021, दिनांक 04/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पाईकभाठा, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 795, कुल क्षेत्रफल–1.2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 30,005.28 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ज्ञानचंद गोलछा, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में आवेदित खदान में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पाईकभाठा का दिनांक 02/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला – उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 229/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 02/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/912/खनिज/उत्ख.प./2021 धमतरी, दिनांक 07/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/911/खनिज/उत्ख. प./2021 धमतरी, दिनांक 07/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री अभिषेक गोलछा के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/12/2010 से 29/12/2020 तक थी। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/673/खनिज/पत्थर/उत्ख. पट्टा/2020–21 धमतरी, दिनांक 07/06/2021 द्वारा लीजधारक श्री अभिषेक गोलछा की मृत्यु उपरांत लीज का नामांतरण उनके विधिक उत्तराधिकारी श्री ज्ञानचंद गोलछा के नाम पर किये जाने हेतु तथा लीज अवधि विस्तार करने के संबंध में आशय पत्र जारी किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी/508 धमतरी, दिनांक 27/01/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 1.1/2 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पाईकभाठा 0.66 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–पाईकभाठा 0.68 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। बलका नहर 1.6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,83,200 टन, माईनेबल रिजर्व 2,64,618 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,51,385 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,405.07 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,594 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,013	षष्टम	30,006
द्वितीय	30,002	सप्तम	30,006
तृतीय	30,001	अष्टम	21,918

चतुर्थ	30,004	नवम	26,677
पंचम	30,004	दशम	10,729

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 900 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
35	2%	0.70	Following activities at Government Primary School, **Village-Paikbhata**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking Water Facility	0.24
			Running Water Facility for Toilets	0.14
			Plantation with fencing in school/ community health center premises	0.14
			Total	**0.92**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,594 घनमीटर है, जिसमें से 1,062 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि में संरक्षित कर रखा जाएगा। उक्त हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का दिनांक 03/09/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/912/खनिज/उत्ख.प./2021 धमतरी, दिनांक 07/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–पाईकभाठा) का रकबा 1.2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पाईकभाठा क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ज्ञानचंद गोलछा) की ग्राम–पाईकभाठा, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 795 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.2 हेक्टेयर, क्षमता – 30,005 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–07** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 8,694 घनमीटर को सीमा पट्टी 3,408.07 वर्गमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी लगभग 7,532 घनमीटर के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलविंदुम तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति
छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF M/S MANGLAM ALLOYS AND ISPAT PVT LTD FOR EXPANSION OF REHEATING BASED ROLLING MILL OF CAPACITY- 30,000 TONNES / YEAR TO 59,500 TONNES / YEAR

I. Statutory Compliance:

i. Existing Coal Gasifier based reheating furnace rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day and some modification in motors and mill stands of rolling mill.

ii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

iii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

v. Rain water harvesting within the premises shall be complete within 1 months.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in rolling mill with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm^3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay, otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	25 mg/Nm^3 (Twenty five Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). No additional reheating furnace(s) shall be installed.
ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Mill scale shall be sold to steel industry units. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Cinder /fly ash shall be used in road making and land filling.
ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.01% (1.872 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that remaining 2,595 Nos plantation will be done within 1 month.
ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iii. Provision shall be made for the housing of construction labourwithin the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months:-

Additional Capital Investment	Percentage of Capital Investment	Amount for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)

(in Lakh Rupees)	to be Spent	(in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
300	1%	3.0	Following activities at Nearby 3 Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	3.39
			Potable Drinking Water Facility With 3 Years AMC	1.35
			Running Water Facility for Toilets	1.05
			Plantation with Fencing	0.75
			Total	**6.54**

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. No additional land shall be acquired for this project.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xviii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड,
(कोनकोना ऑर्डिनरी स्टोन टेम्परी परमिट क्वॉरी (06))
को खसरा क्रमांक 9/1, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम–कोनकोना, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 1,70,005 टन (2 वर्षों में कुल क्षमता 1,97,298 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 1,70,005 टन (2 वर्षों में कुल क्षमता 1,97,298 टन) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर

इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36.5	2%	0.73	Following activities at Government Primary School, **Village – Ghogharapara**	

			Rain Water Harvesting System	0.38
			Potable Drinking Water Facility with 5 years AMC	0.20
			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.05
			Total	**0.78**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 573 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

22. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

23. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

26. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

28. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों मे, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.　　　　　　　　अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–03

मेसर्स कुम्हारी अर्थ क्ले क्वारी माईन एवं फिक्स चीमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री नरेन्द्र कुमार पिलवानी) को खसरा क्रमांक 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270 / 1, 1270 / 3, 1271, 1272, 1278 / 2, 1279, 1280 एवं 1281, ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग कुल लीज क्षेत्र 4.625 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 3,992 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 37,99,321 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. उत्खनन क्षेत्र 4.625 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 3,992 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 37,99,321 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को त्रैमासिक (Quaterly) प्रेषित की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24 / 06 / 2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24 / 06 / 2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
7. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं

सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए।

9. ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईंट भट्टे में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर लगाया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

10. ईंट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।

11. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

12. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू-भरण हेतु उपयोग किया जाए।

13. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03

मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
16. मिट्टी एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
221	2%	4.42	Following activities at 2 Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	2.60
			Potable Drinking water Facility with 3 year AMC	1.05
			Running water facility for Toilets	0.50
			Plantation with fencing	0.80
			Total	4.95

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 600 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,000 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़**

अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

21. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
22. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
23. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
25. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
26. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
28. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
29. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों /विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स शिवा इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री उमेश सचदेव) को खसरा क्रमांक 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1011/1, 1011/2, 1013, 1015, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/4, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020/1, 1020/2, 1023/1, 1023/2, 1025, 1028, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1091/19, 1091/20 एवं 1091/26, ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 8.776 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 5,300 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 53,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. उत्खनन क्षेत्र 8.776 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 5,300 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 53,00,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के सुधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को त्रैमासिक (Quaterly) प्रेषित की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
7. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी

परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए।
9. ईंट उत्पादन हेतु फिक्सड चिमनी आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। ईंट उत्पादन हेतु फिक्सड चिमनी आधारित ईंट भट्टे में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ग्रैविटी सेटलिंग चेम्बर लगाया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
10. ईंट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
11. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
12. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू-भरण हेतु उपयोग किया जाए।
13. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के

पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. मिट्टी एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
391	2%	7.82	Following activities at 3 Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	2.40
			Potable Drinking water Facility with 4 year AMC	1.05
			Running water facility for Toilets	0.70
			Plantation	3.75
			Total	**7.90**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसु, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,800 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित**

रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

21. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
22. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
23. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
25. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
26. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
28. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
29. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों /विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स सियादेही ब्रिक अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री रामचन्द चक्रधारी) को खसरा क्रमांक 06, ग्राम–सियादेही, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 2.44 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 890 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 8,90,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. उत्खनन क्षेत्र 2.44 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 890 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 8,90,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।

4. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

5. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसी प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

7. ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक

अनुसार सुनिश्चित किया जाए। ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईंट भट्टे में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर लगाया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए।

8. ईंट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।

9. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

10. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू-भरण हेतु उपयोग किया जाए।

11. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. मिट्टी एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढंके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30.3	2%	0.61	Following activities at Government Primary School School, **Village – Siyadehi**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation	0.15
			Total	**0.65**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह मे अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 150 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 500 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**
19. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधो को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
21. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
22. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

23. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
24. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
25. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
26. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों /विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
28. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
29. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त मे संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
30. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट **www.envfor.nic.in** एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।
31. पर्यावरणीय स्वीकृति मे दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
32. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति मे प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये

दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

34. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

35. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

37. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स रूनियाडीह ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री रविशंकर जायसवाल) को खसरा क्रमांक 1273, ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्र 0.87 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,073 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 5,76,400 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 0.87 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,073 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 5,76,400 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईंट उत्पादन हेतु फिक्सड चिमनी आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। ईंट उत्पादन हेतु फिक्सड चिमनी आधारित ईंट भट्टे में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर लगाया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

9. ईंट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।

10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

11. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ी आदि को भू–भरण हेतु उपयोग किया जाए।

12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

15. मिट्टी एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
32	2%	0.64	Following activities at Govt Primary School, **Village-Runiyadih**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Total	**0.70**

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 180 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 500 नग पौधे लगाये जावेंगे।

19. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

20. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

23. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

24. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

25. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

26. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

27. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों /विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

33. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

35. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स पाईकभाठा क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ज्ञानचंद गोलछा) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 795, कुल लीज क्षेत्र 1.2 हेक्टेयर, ग्राम–पाईकभाठा, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 30,005 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.2 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 30,005 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन

बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 8,594 घनमीटर को सीमा पट्टी 3,405. 07 वर्गमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी लगभग 7,532 घनमीटर के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मैकेनिकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

		Rupees)		(in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Government Primary School, **Village-Paikbhata**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking Water Facility	0.24
			Running Water Facility for Toilets	0.14
			Plantation with fencing in school/ community health center premises	0.14
			Total	**0.92**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 900 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, अर्जुन, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

22. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने

हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

23. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

26. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिको के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

28. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.